

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी  
हुए

20.11.25

पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वादी वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खेडा खिंदावडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 25, 26, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58 व 59 कुल रकबा 8.9498 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	मोहनराम पुत्र पतीया जाति भील सा. मूठली खातेदार	44	0.0298	आसमानी
		46	0.0440	
		47	0.3291	
		48	0.1734	
		49	0.0550	
		50	0.2359	
		51	0.0573	
		55	1.5263	
		56	0.3633	
		59	1.5848	
	योग	11	4.4465	आसमानी
2	हरिया पुत्र पतीया जाति भील सा.देह खातेदार	25	1.3792	केसरिया
		26	2.0406	
		41	0.2695	
		44	0.0299	
		58	0.7274	
	योग	5	4.4466	केसरिया
3	मोहन पुत्र पतीया हिस्सा 1/2 जाति भील सा.देह खातेदार, हरिया पुत्र पतीया हिस्सा 1/2 जाति भील सा.देह खातेदार	56	0.0243	बैंगनी
		59	0.0324	
		योग	1	
	योग	1	0.0567	बैंगनी

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुनाने के लिए दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) सिवाना



## डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व  
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :-

मोहन पुत्र पतीया जाति भील निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा  
बनाम

प्रतिवादीगण:-

- हरिया पुत्र पतीया जाति भील निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा
- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना  
वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर :-104 /2025

निर्णय दिनांक :- 20.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू अधिवक्ता श्री गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम खेडा खिंदावडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 25, 26, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58 व 59 कुल रकबा 8.9498 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	मोहनराम पुत्र पतीया जाति भील सा. मूठली खातेदार	44	0.0298	आसमानी
		46	0.0440	
		47	0.3291	
		48	0.1734	
		49	0.0550	
		50	0.2359	
		51	0.0573	
		55	1.5263	
		56	0.3633	
		59	1.5848	
	योग	11	4.4465	आसमानी
2	हरिया पुत्र पतीया जाति भील सा.देह खातेदार	25	1.3792	केसरिया
		26	2.0406	
		41	0.2695	
		44	0.0299	
		58	0.7274	
		योग	5	
3	मोहन पुत्र पतीया हिस्सा 1/2 जाति भील सा.देह खातेदार, हरिया पुत्र पतीया हिस्सा 1/2 जाति भील सा. देह खातेदार	56	0.0243	बैंगनी
		59	0.0324	
		योग	1	

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.11.2025 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवाना



बालोतरा - नवशा  
 गाँव - खेडा (सिवाणा)  
 तहसील - सिवाणा

- सेक्टर
- 1 मोहन राम वरेग  
आसमानी
  2. हरिया वरेग डेवरीया
  3. लक्ष्मण-भूमिगजराडे  
वरेग बेगनी

(मू) 4.11.2020  
 IUR 21157

बालोतरा, तहसील : 306 सिवाणा, RI : 0191 थापन, Halkas : 00749 कुसीप. गॉन.  
 डा सिवाणा Sheet No : 003

तहसीलदार (सू.अ.) सिवाणा

पटवारी  
 Ex-6477

रामराम



रामराम



रामराम



सहायक कलक्टर  
 (S.D.O.) सिवाणा